

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

राजस्थान लोक अदालत अधिनियम, 1956
'न्याय आपके द्वार-2018'

प्रकरण संख्या

पीठासीन अधिकारी :
127/2018

सी के आर धारवा, P.A.S.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

अपना 500 खेत/खाने/खेत/खाने

निवासी/विपक्षी

- प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम

अपना 500 खेत/खाने/खेत/खाने

निवासी/विपक्षी

- विपक्षी/विपक्षीगण

पस्थित :-

श्री. लक्ष्मी देवी

तहसील शाहपुरा

निर्णय

दिनांक 22/11/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान न्यू-राजस्थान अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम तहसील शाहपुरा/..... जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर

592/2018-0-203

कुल किता रकबा हैक्टर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार काशतकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमावन्दी ग्राम संवत् 2018 से 2018 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदार/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता रकबा हैक्टर का पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/..... को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस रुपये कायम किये जाते हैं जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/..... मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो। प्रार्थी/प्रार्थीगण को सारे इजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि-तहसीलदार, शाहपुरा/..... पास भेजकर लेख है कि पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

सी के आर धारवा
अपक्षी/विपक्षीगण
सहायक कलेक्टर

अपक्षी/विपक्षीगण
सहायक कलेक्टर